न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 37/2023 **दायर दिनांकः 13.06.2023**

उनवान

1. मोहनलाल आयु 68 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मीना निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
प्रतिवादी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 28.05.2025

वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अटरू पटवार क्षेत्र अटरू तहसील अटरू की खाता संख्या 458 की ख0नं0 683 का रकबा 2.32 है0, ख0नं0 684 का रकबा 1.77 है0 कुल 2 किता का रकबा 4.09 है० आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाती दर्ज चली आ रही हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0—1 में वर्णित आराजी मे वादी का हिस्सा 1/2 मे वादी को साकिन मेरमातालाब व वादी के हिस्सा 3/32 मे वादी को साकिन मेरमाचाह दर्ज कर रखा हैं। जबकि वर्तमान में वादी ग्राम अटरू में निवास करता हैं। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी आदि मे निवास गांव का नाम अटरू दर्ज हैं। जो सही दर्ज हैं। तथा वादी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे भी हिस्सा 1/2 व 3/32 दर्ज कर रखा हैं। दस्तावेजात की छाया प्रतिया वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे वादी का अलग अलग हिस्सा एवं पृथक पृथक साकिन होने की वजह से वादी को के.सी.सी. ऋण एवं सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित होना पड रहा हैं। वादी ने

अपने दोनो हिस्सो को समायोजित करने एवं साकिन अटरू दर्ज करवाने का प्रतिवादी से कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी द्वारा बिना न्यायालय के आदेश के दुरूस्ती करने से मना कर दिया तथा माननीय न्यायालय मे कार्यवाही करने की सलाह दी। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी के हिस्सा 1/2 व हिस्सा 3/32 को समायोजित किया जाना एवं साकिन अटरू किया जाना सम्भव नही हैं। अस्तु वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे साकिन मेरमाचाह एवं मेरमातालाब के स्थान पर साकिन अटरू दर्ज करवाने तथा अपने हिस्सा 1/2 व 3/32 को समायोजित करवाकर कुल हिस्सा 19/32 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करवाने का अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 20.12.2022 को बादी द्वारा प्रतिवादी से हिस्सा समायोजित करने एवं साकिन अटरू दर्ज करने का निवेदन करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 21.02.2023 को प्रतिवादी द्वारा मना करने व माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने एवं वाद घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का होने की वजह से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह वाद पेश किया गया हैं। विवाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल अटरू में स्थित होने एवं पक्षकार ग्राम अटरू का निवासी होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावे कि :–

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे वादी को साकिन मेरमाचाह एवं मेरमातालाब के स्थान पर साकिन अटरू दर्ज किया जाकर वादी के हिस्सा 1/2 व हिस्सा 3/32 को समायोजित किया जाकर कुल हिस्सा 19/32 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। तहसीलदार अटरू से वाद के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/

2025/909 दिनांक 21.04.2025 से पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम अटरू के खाता संख्या 458 की ख0नं0 684 का रकबा 1.77 है0 मोहनलाल पुत्र छीतरलाल हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा0 मेरमातालाब व ख0नं0 683 का रकबा 2.32 है0 मोहनलाल पुत्र छीतरलाल हिस्सा 1/2 जाति मीणा सा0 मेरमातालाब व मोहनलाल पुत्र छीतरलाल हिस्सा 3/32 जाति मीणा सा0 मेरमाचाह के नाम खाता दर्ज है। उक्त खातेदार के गत 15 वर्षो की जमाबन्दी में सा0 मेरमाचाह दर्ज चला आ रहा है उसके बाद मोहनलाल द्वारा भेरया पुत्र श्योपाल खातेदार से हिस्सा 1/2 खरीदा गया तब रजिस्ट्री में सा0 मेरमातालाब ही दर्ज था जिसके अनुसार ही नामान्तकरण दर्ज किया गया। मोहनलाल पुत्र छीतरलाल सा0 मेरमातालाब व मेरमाचाह एक ही व्यक्ति है जो अटरू में ही निवास कर रहा है।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सूनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अटरू खाता संख्या 458 सम्वत 2073—2076, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक आई0डी0बी0आई0 बैंक, परिवार राशन कार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार भी मोहनलाल पुत्र छीतरलाल जाति मीणा सा0 मेरमातालाब व मोहनलाल पुत्र छीतरलाल जाति मीणा सा0 मेरमाचाह एक ही व्यक्ति है जो ग्राम अटरू में निवास कर रहा है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, दस्तावेजों के अवलोकन व रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल अटरू पटवार क्षेत्र अटरू तहसील अटरू की खाता संख्या 458 की ख0नं0 683 का रकबा 2.32 है0, ख0नं0 684 का रकबा 1.77 है0 कुल 2 किता का रकबा 4.09 है० आराजी के संबंध में वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल अटरू पटवार क्षेत्र अटरू तहसील अटरू की खाता संख्या 458 की ख0नं0 683 का रकबा 2.32 है0, ख0नं0 684 का रकबा 1.77 है0 कुल 2 किता का रकबा 4.09 है० आराजी में वादी के साकिन मेरमाचाह व मेरमातालाब के स्थान पर साकिन अटरू किया जाकर वादी के हिस्सा 1/2 व 3/32 को समायोजित किया जाकर कुल हिस्सा 19/32 दर्ज करने के

आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
<u>बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)</u>

प्रकरण सं0 37/2023 **दायर दिनांकः 13.06.2023**

उनवान

1. मोहनलाल आयु 68 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मीना निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0</u>

उपस्थिति :—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

मिनजानित मुदई रूबरू ....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल अटरू पटवार क्षेत्र अटरू तहसील अटरू की खाता संख्या 458 की ख0नं0 683 का रकबा 2.32 है0, ख0नं0 684 का रकबा 1.77 है0 कुल 2 किता का रकबा 4.09 है० आराजी में वादी के साकिन मेरमाचाह व मेरमातालाब के स्थान पर साकिन अटरू किया जाकर वादी के हिस्सा 1/2 व 3/32 को समायोजित किया जाकर कुल हिस्सा 19/32 दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग..................... मुबालिक ....ग............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग............................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.05.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)